



अंत्योदया-सरल



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता स्कूल नहीं जाने वाले 18 वर्ष से कम आयु के निःशक्त बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना

पात्रता:

1. 0-18 वर्ष के बीच आयु वर्ग में शारीरिक अक्षमता वाला व्यक्ति।
2. इस विकलांगता के कारण बच्चा औपचारिक शिक्षा प्रशिक्षण आदि में शामिल नहीं हो पाता है।
3. हरियाणा का अधिवासी एंवम आवेदन प्रस्तुत करने के तीन वर्ष पूर्व से हरियाणा राज्य में रह रहा है।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण जिसमें निम्नलिखित निःशक्तता दर्शाई गई हों:-

क आई.क्यू के साथ मानसिक मंदता 50 से अधिक नहीं या विकलांगता का प्रतिशत 70% और उससे अधिक है।

ख सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्ति।

ग ऑटिज्म से पीडित व्यक्ति।

घ विकलाग व्यक्तियों संरक्षण या अधिकार और पूर्ण भागीदारी अधिनियम एक्ट 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (i) पद्व में परिभाषित 705 या उससे अधिक की कुल स्थायी विकलांगता के साथ बहुविकलांगता।

ड 100 प्रतिशत की निःशक्तता के साथ आर्थोपेडिक निःशक्तता का केस जिन्हे आगे निम्न अनुसार स्पष्ट किया गया है:-

- मयोपाथी।
- पारापलैजिक।
- क्वाडरी पलैजिया।



अंत्योदया-सरल



- 5 उसके नजदीक सम्बन्धी जैसे माता-पिता/सुपुत्र उसकी सहायता नहीं कर रहे हों और सभी स्रोतों से उसकी अपनी वार्षिक आय श्रम विभाग द्वारा यथा अधिसूचित तथा विभाग द्वारा प्रति वर्ष आधार पर परिचालित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं हो।

अपवाद

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा द्वारा कार्यान्वित की जा रही छात्रवृत्ति बेरोजगारी भत्ता और विकलांग पेंशन योजनाओं के तहत पहले से सहायता प्राप्त कर रहे ऐसे बच्चों को सहायता नहीं दी जायगी।

सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतू सरकारी अधिसूचना में "पेंशन" से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्रोत से आय व जिसमें योजनाएं शामिल हैं:

- * प्रोविडेंट फण्ड, अथवा
- * किसी भी स्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थान अथवा बीमा आदि शामिल है।

उपलब्ध लाभ:

1. रू0 1900 /- प्रतिमास 01.04.2021 से लागू ।

आवश्यक दस्तावेज:

1. आयु का सबूत: (निम्नलिखित में से कोई एक):
 - जन्म प्रमाण-पत्र (रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी)।
 - शपथ-पत्र, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित।
 - राज्य/ केंद्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी से प्रमाण-पत्र।
2. निवास सबूत: (निम्नलिखित में से स्वयं सत्यापित एक जो 5 वर्ष पूर्व में जारी किया गया हो):-
 - राशन कार्ड। (खादय एवं पूर्ती विभाग, हरियाणा)
 - मतदाता पहचान-पत्र। (देख-रेख करने वाले व्यक्ति)
 - मतदाता सूची में आवेदक का नाम फोटो सहित। (देख-रेख करने वाले व्यक्ति)



अंत्योदया-सरल



- उपरोक्त में से अगर आवेदक के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, वह सैल्फ डिक्लेरेशन देंगे जिसकी वैरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर की जायेगी।
- 3 मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण जिसमें निम्नलिखित निःशक्तता दर्शाई गई हों:-

क आई.क्यू. के साथ मानसिक मंदता 50 से अधिक नहीं या विकलांगता का प्रतिशत 70% और उससे अधिक है।

ख सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्ति।

ग ऑटिज्म से पीडित व्यक्ति।

घ विकलांग व्यक्तियों संरक्षण या अधिकार और पूर्ण भागीदारी अधिनियम एक्ट 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (i) पद्व में परिभाषित 705 या उससे अधिक की कुल स्थायी विकलांगता के साथ बहुविकलांगता।

ड 100 प्रतिशत की निःशक्तता के साथ आर्थोपेडिक निःशक्तता का केस जिन्हे आगे निम्न अनुसार स्पष्ट किया गया है:-

- मयोपाथी।
- पारापलैजिक।
- क्वाडरी पलैजिया।

4 अन्य दस्तावेज

- आधार कार्ड (ऐच्छिक)
- आवेदक का बचत बैंक खाता विवरण पास बुक की फोटी कॉपी सहित।
- आवेदक का परिवार पहचान पत्र।

नोट:-

18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद लाभार्थी स्वतः विकलांग पेंशन के लिए पात्र हो जाएगा।



अंत्योदया-सरल



सेवा के लिए फीसें:

सरकारी प्रभार	केन्द्र सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रु0 30/-	रु0 30/-

सेवा का अधिकार समय सीमा: 60 दिन।